



प्रेस नोट

थाना – गढमुक्तेश्वर

दिनांक 17.01.2023

- थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस ने चैकिंग के दौरान ट्यूबवेलों से सामान चोरी करने वाले शातिर चोर को किया गिरफ्तार ।
- जिसके कब्जे/निशानदेही से ट्यूबवेलों का सामान(तांबे का तार, स्टार्टर के लोहे के नटबोल्ट, स्टार्टर के कटआउट, 30 किलोग्राम लोहे का तार व स्प्रे मशीन इत्यादि), घटना में प्रयुक्त साइकिल व अवैध चाकू बरामद ।
- गिरफ्तार अभियुक्त थाना बहादुरगढ़ का हिस्ट्रीशीटर(H.S-19A) अपराधी है।
- गिरफ्तार अभियुक्त रात्रि में साइकिल से निकलता है तथा ट्यूबवेलों से सामान चोरी करने की घटना कारित करता है
- गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी/ चोर है जिसके विरुद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के करीब डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस द्वारा ट्यूबवेलों से सामान चोरी करने वाले शातिर चोर को चैकिंग के दौरान जंगल ग्राम गढ बांगर से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे/निशानदेही से ट्यूबवेलों का सामान(तांबे का तार, स्टार्टर के लोहे के नटबोल्ट, स्टार्टर के कटआउट, 30 किलोग्राम लोहे का तार व स्प्रे मशीन इत्यादि), घटना में प्रयुक्त साइकिल व अवैध चाकू बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढमुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विनोद उर्फ भोला पुत्र दीवान जाटव निवासी मौ0 उद्योग वाला कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 25/15 धारा 457/380/411 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
2. मु0अ0स0 31/17 धारा 457/380 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
3. मु0अ0स0 276/18 धारा 279/411 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
4. मु0अ0स0 172/19 धारा 380/411/414 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
5. मु0अ0स0 278/19 धारा 307 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
6. मु0अ0स0 279/09 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
7. मु0अ0स0 93/04 धारा 307 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
8. मु0अ0स0 84/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
9. मु0अ0स0 227/02 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
10. मु0अ0स0 199/20 धारा 3/25 ए एक्ट थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
11. मु0अ0स0 272/21 धारा 380/411 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
12. मु0अ0स0 169/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
13. मु0अ0स0 278/19 धारा 307 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
14. मु0अ0स0 30/23 धारा 414 भादवि व 4/25 आयुध अधि0 थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
15. मु0अ0स0 29/23 धारा 379/411 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
16. मु0अ0स0 453/22 धारा 3798427/411 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
17. मु0अ0स0 30/23 धारा 414 भादवि व 4/25 आयुध अधि0 थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- करीब 30 किलोग्राम लोहे का तार, 05 किलोग्राम स्टार्टर का तांबे का तार, करीब 05 किलोग्राम स्टार्टर के लोहे के नटबोल्ट, दो खुरपी, 09 दरांती, 04 बलकटी, 03 दांव, 10 छोटे बडे पेचकस, 03 प्लास, 06 रिंच, 01 पाना रिंच, 02 हथौडे, करीब करीब 150 फीट पाइप लाइन, 03 स्टार्टर के कटआउट, एक आरी व मोटर स्टार्टर के तीन खोल व तीन वाल्टी, लोहे का एक डिलीवरी पाइप व 02 स्प्रे मशीन इत्यादि सम्बन्धित मु0अ0स0 29/23 धारा 379/411 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर हापुड ।
- 2- 07 किलोग्राम तांबे का तार सम्बन्धित मु0अ0स0 453/22 धारा 3798427/411 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
- 3- 22 मोटर स्टार्टर के खोल विभिन्न कम्पनियो के (अन्य घटनाओं से संबंधित)
4. 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रवेन्द्र सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
2. आरक्षी 642 रोहित कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
3. आरक्षी 506 सुनील कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।